"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47] रायपुर, सोमवार, दिनांक 5 फरवरी 2018 — माघ 16, शक 1939

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा पुनर्वास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 3 फरवरी 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-123/सात-1/2016. — भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का सं. 30) की धारा 16 सहपठित धारा 109 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (प्रभावित परिवारों का सर्वेक्षण, जनगणना तथा पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना तैयार किया जाना) नियम, 2018 बनाती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 112 द्वारा अपेक्षित अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :-

नियम
अध्याय-एक
सामान्य

1. **संक्षिप्त नाम विस्तार तथा प्रारंभ.**- (1) ये नियम छत्तीसगढ़ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (प्रभावित परिवारों का सर्वेक्षण, जनगणना तथा पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना तैयार किया जाना) नियम, 2018 कहलायेगा ।

   (2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा ।

   (3) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं.**- (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,-

   (क) **"अधिनियम"** से अभिप्रेत है, भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का सं. 30);

(ख) **''प्रशासक''** से अभिप्रत है अधिनियम की धारा 43 की उप–धारा (1) के अधीन शासन द्वारा नियुक्त पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक ;

(ग) **''पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन संबंधी प्रारूप योजना''** से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 16 की उप–धारा (6) के अधीन प्रशासक द्वारा अंतिम रूप से तैयार की गई प्रारूप योजना ;

(घ) **''प्ररूप''** से अभिप्रेत है, इन नियमों में संलग्न प्ररूप ;

(ड.) **''परियोजना क्षेत्र''** से अभिप्रेत है, ग्राम अथवा ग्रामों का समूह, जहां भूमि ,अर्जन किया जाना प्रस्तावित है ;

(च) **''धारा ''** से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा ।

(2) शब्द और अभिव्यक्तियां जो इनमें प्रयुक्त है किन्तु परिभाषित नहीं है, उनके कमशः वहीं अर्थ होंगे जो भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,2013 (2013 का सं. 30) में उनके लिए समनुदेशित है।

अध्याय–दो
प्रभावित परिवारों, शासकीय परिसम्पत्तियों तथा अवसंरचनात्मक सुविधाओं का सर्वेक्षण एवं जनगणना

3. **प्रभावित परिवारों का सर्वेक्षण तथा जनगणना.**–(1) कलेक्टर द्वारा अधिनियम की धारा 11 की उप–धारा (1) के अधीन प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् प्रशासक, तत्काल, प्रभावित परिवारों का सर्वेक्षण एवं जनगणना का कार्य प्रारंभ करेगा ।

(2) सर्वेक्षण में खातेदारों का विवरण अर्थात् नाम, उनके द्वारा ग्राम में धारित कुल भूमि तथा अन्य ग्रामों में धारित भूमि (यदि कोई हो) प्राप्त किया जायेगा ।

(3) अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का सं.2)के अधीन वन अधिकार मान्यता प्रमाणपत्र धारित व्यक्तियों को, इस अधिनियम एवं इन नियमों के प्रयोजन के लिए भूमिस्वामी माना जायेगा ।

(4) अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरा नंबरवार ब्यौरा एकत्रित किया जायेगा ।

(5) प्रभावित परिवार के सदस्यों (वयस्क, अवयस्क, विवाहित, अविवाहित) की कुल संख्या की जानकारी एकत्रित की जायेगी ।

(6) अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि पर स्थित अन्य परिसंपत्तियों यथा वृक्ष, नलकूप, मकान इत्यादि का ब्यौरा एकत्रित किया जायेगा ।

(7) प्रत्येक प्रभावित परिवार के द्वारा धारित कृषि भूमि से होने वाली आय की जानकारी प्राप्त की जायेगी । कृषि आय का निर्धारण, कृषि फसलों हेतु मानक उत्पादन तथा प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर किया जायेगा।

(8) प्रभावित परिवार के प्रत्येक व्यस्क सदस्य की कृषि भिन्न स्त्रोतों तथा अन्य व्यवसाय से होने वाले वार्षिक औसत आय के ब्यौरे एकत्रित किये जायेंगे, किन्तु उसमें कृषि मजदूरी को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(9) प्रभावित परिवारों का सर्वेक्षण संबंधी ब्यौरे, प्ररूप–एक में प्राप्त किये जायेंगे ।

4. **प्रभावित भूमिहीन कृषि मजदूरों तथा अन्य प्रभावित व्यक्तियों का सर्वेक्षण**.–

(1) ऐसे कृषि मजदूर , अन्य ग्रामीण शिल्पी एवं कारीगर जिनकी आजीविका प्रमुखतः अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि पर निर्भर है तथा जो अधिनियम की धारा 11 के अधीन जारी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम से कम 3 वर्ष पूर्व से, उस ग्राम में निवासरत है, का भी सर्वेक्षण किया जायेगा ।

(2) भूमिहीन कृषि मजदूरों तथा अन्य प्रभावित व्यक्तियों का सर्वेक्षण संबंधी ब्यौरे प्ररूप–दो में एकत्रित किये जायेंगे ।

5. **भूमि अर्जन से प्रभावित शासकीय एवं सार्वजनिक परिसम्पत्तियों तथा अवसंरचनात्मक सुविधाओं का सर्वेक्षण**.–(1) प्रस्तावित भूमि अर्जन से प्रभावित होने वाले शासकीय एवं सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के साथ–साथ अवसंरचनात्मक सुविधाओं जैसे सड़क, गली, गौठान, आदि के ब्यौरे एकत्रित की जायेगी।

(2) शासकीय एवं सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के साथ–साथ अवसरंचनात्मक सुविधाओं के सर्वेक्षण के ब्यौरे प्ररूप–तीन में एकत्रित किये जायेंगे ।

6. **विस्थापित परिवारों की सूची तैयार किया जाना**,–प्रशासक, प्ररूप–एक, दो एवं तीन में प्राप्त जानकारी के आधार पर, प्रस्तावित परियोजना से विस्थापित परिवारों की पृथक सूची प्ररूप–चार में तैयार करेगा ।

अध्याय–तीन
आजीविका के साधन का निर्धारण

7. **आय के प्रमुख साधन का निर्धारण.** –नियम 3 एवं नियम 4 के अधीन प्राप्त जानकारी के आधार पर, आजीविका के प्रमुख साधन का निर्धारण किया जायेगा। यदि कृषि व्यवसाय से प्राप्त आय, समस्त स्त्रोंतों से प्राप्त आय के 50 प्रतिशत से अधिक है, तो यह माना जायेगा कि प्रभावित परिवार की आजीविका प्रमुखतः कृषि पर निर्भर है।

8. **पुनर्वास के लाभ हेतु पात्रता.**–नियम 7 के अधीन ऊपर की गई संगणना के अनुसार, यदि यह पाया जाता है कि प्रभावित परिवार की आजीविका, प्रमुखतः कृषि पर निर्भर है, तो भूमि अर्जन होने की दशा में, नीचे उल्लिखित कृषक के वर्ग के अनुसार, प्रभावित व्यक्ति को, अधिनियम की अनुसूची –दो के सरल क्रमांक 4 के अनुसार, पुनर्वास का लाभ प्राप्त होगा :–

स.क्र.	कृषक का वर्ग	कुल धारित भूमि के विरूद्ध अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का प्रतिशत
1	सीमांत	कुल धारित भूमि का 25 % या उससे अधिक भूमि
2	लघु	कुल धारित भूमि का 50 % या उससे अधिक भूमि
3	बड़े	कुल धारित भूमि का 75 %या उससे अधिक भूमि

9. **संयुक्त खाता के मामलों में प्रभावित परिवारों का निर्धारण.**–किसी संयुक्त खाता के मामले में, यदि व्यस्क सदस्यों ने परस्पर सहमति से मौखिक रूप से अपना अंश बंटवारा कर लिया है, तो केवल ऐसे परिवार, जिसकी भूमि, अर्जन से प्रभावित होगी, को प्रभावित परिवार माना जायेगा ।

10. **पात्रता का निर्धारण एवं अपात्र परिवार की सूची तैयार किया जाना.**– नियम 7, 8 एवं 9 के अधीन की गई संगणना के आधार पर, प्रशासक, पुनर्वासन हेतु प्रभावित परिवारों की पात्रता का निर्धारण प्ररूप–पांच में करेगा तथा अपात्र परिवारों की सूची तैयार करेगा ।

अध्याय–चार
पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना तैयार करना

11. पुनर्वासन की पात्रताओं का विवरण तैयार किया जाना.–नियम 10 के अनुसार पात्र पाये गये प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन की पात्रताओं का विवरण प्ररूप–छः में तैयार किया जायेगा ।

12. पुनर्व्यवस्थापन की पात्रताओं का विवरण तैयार किया जाना.– पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र में प्रत्येक प्रभावित परिवार को व्यक्तिशः उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं का विवरण प्ररूप–सात में तैयार किया जायेगा ।

13. पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र में उपलब्ध कराई जाने वाली शासकीय भवनों की सूची.–पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र में उपलब्ध कराये जाने वाले शासकीय भवनों की सूची प्ररूप–आठ में तैयार की जायेगी।

14. पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र में उपलब्ध कराई जाने वाली अन्य लोक सुविधाओं तथा अवसरंचनात्मक सुविधाओं की सूची.– पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र में अन्य उपलब्ध कराई जाने वाली लोक सुविधाओं तथा अवसरंचनात्मक सुविधाओं के व्यौरे प्ररूप–नौ में तैयार की जायेगी ।

15. पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना तैयार करने के लिए शासकीय कार्यालयों तथा स्थानीय निकायों से जानकारी एकत्रित करना.–उपरोक्त योजना तैयार करने के लिए सर्वेक्षण एवं जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के अतिरिक्त सामाजिक समाघात अध्ययन निर्धारण रिपोर्ट, पंचायत एवं शासकीय विभागों के द्वितीयक आंकड़ों तथा मौके की स्थिति का भी उपयोग किया जा सकेगा ।

अध्याय–पांच
जन सुनवाई

16. पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना पर जन सुनवाई – अधिनियम की धारा 16 की उप–धारा (4) एवं (5) के अधीन तैयार की गई पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना की जन सुनवाई प्रशासक द्वारा किया जावेगा। इस प्रयोजन हेतु निम्नलिखित उपाय सुनिश्चित किये जायेंगे, अर्थात् :–

(एक) सुनवाई हेतु उदघोषणा जारी की जायेगी, जिसमें पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना की प्रतिलिपि के साथ सुनवाई की तिथि, समय एवं स्थान का विवरण दर्शित होगा ।

(दो) ऐसी उद्घोषणा का प्रकाशन प्रभावित ग्रामों, ग्राम पंचायतों , स्थानीय निकायों तथा तहसील कार्यालय में किया जायेगा ।

(तीन) प्रभावित क्षेत्र के ग्राम सभाओं तथा स्थानीय निकायों से भी परामर्श किया जायेगा ।

(चार) अधिसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के साथ परामर्श, पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार)अधिनियम,1996 (1996 का सं.40)के उपबंधों के अनुसार किया जायेगा ।

17. **पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के प्रारूप को कलेक्टर को प्रस्तुत किया जाना.**– प्रशासक, लोक सुनवाई के पूर्ण होने के पश्चात्, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का प्रारूप एवं जन सुनवाई के दौरान प्राप्त दावा, आपत्ति तथा सुझावों पर अपने अभिमत के साथ रिपोर्ट कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा ।

अध्याय–छः
विविध

18. **व्यावृत्ति**.– अनवधानतावश, इन नियमों के किसी प्रावधान का प्रभाव, मूल अधिनियम से असंगत होता हो, तो अधिनियम के प्रावधान, ऐसी विसंगति की सीमा तक उक्त नियम पर अभिभावी होंगे ।

19. **निर्वचन**.– यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है, तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

प्ररूप—एक

प्रभावित परिवार के ब्यौरे

(नियम 3 (9) देखिये)

1.ग्राम का नाम................................ 2. प.ह.नं....................................3. रा.नि.मं.............................4. तहसील..5. जिला..

स. क.	खातेदार का नाम	कुल धारित भूमि के ब्यौरे		कृषक श्रेणी लघु/सीमांत/ वृहद	स्वामित्व का प्रकार	अर्जन हेतु यथा प्रस्तावित भूमि		खातेदारों का पूरा विवरण							वार्षिक आय के आधार पर आजीविका का साधन
		खसरा नंबर	रकबा हे.में			खसरा नंबर	रकबा हे.में	नाम नाम/पिता/ पति का नाम	उम्र	विवाहित/ अविवाहित	व्यवसाय	वार्षिक आय			
												कृषि से आय	अन्य स्त्रोत से आय	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

प्ररूप–दो

भूमिहीन कृषि मजदूर तथा अन्य प्रभावित व्यक्तियों के ब्यौरे

(नियम 4 (2) देखिये)

1.ग्राम का नाम.................................. 2. प.ह.नं.......................................3. रा.नि.मं..............................4. तहसील...5. जिला...

स.क.	प्रभावित परिवार के मुखिया का नाम/पिता /पति का नाम	ग्राम में निवास करने की अवधि	व्यवसाय(कृषि मजदूर,ग्रामीण शिल्पी, कारीगर आदि)	परिवार के सदस्यों का विवरण			भूमि अर्जन से प्रीाावित होने का कारण
				नाम/पिता/पति का नाम	उम्र	व्यवसाय	
1	2	3	4	5	6	7	8

प्ररूप–तीन

अर्जन हेतु प्रस्तावित शासकीय एवं सार्वजनिक परिसम्पत्तियों तथा अवसंरचनात्मक सुविधाओं के ब्यौरे

(नियम 5 (2)देखिये)

1.ग्राम का नाम.................................. 2. प.ह.नं......................................3. रा.नि.मं..............................4. तहसील..5. जिला...

स.क्र.	शासकीय एवं सार्वजनिक परिसम्पत्ति तथा अवसंरचनात्मक सुविधाओं के ब्यौरे	वर्तमान उपयोग	अनुमानित लागत	विभाग का नाम	रिमार्क
1	2	3	4	5	6

प्ररूप—चार

विस्थापित होने वाले परिवारों की जानकारी

(नियम 5 देखिये)

1.ग्राम का नाम.................................. 2. प.ह.नं......................................3. रा.नि.मं..............................4. तहसील...5. जिला...

स.क्र.	परिवार के मुखिया का नाम	परिवार के सदस्यों की संख्या	परिवार के सदस्यों का विवरण				विस्थापित होने का कारण	रिमार्क
			सदस्य पिता, पति का नाम	उम्र	परिवार के मुखिया से संबंध	व्यवसाय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्ररूप—पांच

पुनर्वासन हेतु प्रभावित परिवारों का निर्धारण
(नियम 10 देखिये)

1.ग्राम का नाम.................................. 2. प.ह.नं.....................................3. रा.नि.मं..............................4. तहसील..5. जिला...

स.क्र.	परिवार के मुखिया का नाम	परिवार के सदस्यों की संख्या	पुनर्वासन हेतु पात्र है अथवा नहीं	पात्रता अथवा अपात्रता का कारण	रिमार्क
1	2	3	4	5	6

प्ररूप—छः

भूमि अर्जन से प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन संबंधी हकदारियों के ब्यौरे

(नियम 11 देखिये)

1.ग्राम का नाम.................................. 2. प.ह.नं......................................3. रा.नि.मं...............................4. तहसील...5. जिला...

स. क्र.	प्रभावित परिवार के मुखिया का नाम/पिता/पति का नाम	अनुसूची—दो के कॉलम (1)के अधीन आवास की पात्रता	भूमि के बदले भूमि प्राप्त करने की पात्रता	विकसित भूमि प्राप्त करने की पात्रता	रोजगार/वार्षिकी एकमुश्त राशि की पात्रता	जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता	परिवहन व्यय की पात्रता	पशुबाड़ा/छोटी दुकान की पात्रता	कारीगर/छोटेदुकानदार होने पर एकबार अनुदान की पात्रता	मछली पकड़ने के अधिकार की पात्रता	पुनर्व्यवस्थापन भत्ता की पात्रता	स्टाम्प शुल्क एवं रजिस्ट्री शुल्क छूट की पात्रता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

प्ररूप—सात

विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन सुविधाओं के ब्यौरे

(नियम 12 देखिये)

1.ग्राम का नाम................................ 2. प.ह.नं....................................3. रा.नि.मं............................4. तहसील...5. जिला..

स.क्र.	विस्थापित परिवार के मुखिया का नाम	परिवार में सदस्यों की संख्या	उपलब्ध करायी जाने वाली सुविधाओं का विवरण							
			निर्मित मकान							
			एकमुश्त राशि	ग्राम का नाम	खसरा नंबर	भूखण्ड क्रमांक	भूखण्ड का क्षेत्रफल	शौचालय	विद्युत	पेयजल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

प्ररूप—आठ

पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र में उपलब्ध कराये जाने वाले शासकीय भवनों की सूची

(नियम 13 देखिये)

1.ग्राम का नाम.................................. 2. प.ह.नं...................................3. रा.नि.मं..............................4. तहसील..5. जिला..

स.क्र.	सुविधा का नाम	भवन का नाम	अनुमानित लागत लाख रूपये में	निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थान का विवरण	अन्य विवरण
1 .	2	3	4	5	6

प्ररूप—नौ

पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र में अन्य लोक सुविधाओं एवं अवसंरचनात्मक सुविधाओं की सूची

(नियम 14 देखिये)

1.ग्राम का नाम.................................. 2. प.ह.नं.....................................3. रा.नि.मं...............................4. तहसील..5. जिला...

स.क्र.	सुविधा का नाम	भवन का नाम	अनुमानित लागत लाख रूपये में	निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थान	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6

No. F 4-123/Seven-1/2016.— In exercise of the powers conferred by Section 16 read with Section 109 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013), the State Government, hereby makes the Chhattisgarh Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Survey and Censes of Affected Families and Preparation of Rehabilitation and Resettlement Scheme) Rules, 2018, the same having been previously published as required by Section 112 of the said Act, namely :-

RULES

CHAPTER-1

PRELIMINARY

1. **Short title,extent and commencement**. – (1) These rules may be called the Chhattisgarh Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Survey and Censes of Affected Families and Preparation of Rehabilitation and Resettlement Scheme) Rules, 2018.

   (2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.

   (3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions**.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

   (a) **"Act"** means the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013);

   (b)**"Administrator"** means an administrator for rehabilitation and resettlement notified by the Government under sub-section (1) of Section 43 of the Act;

(c)"**Draft Rehabilitation and Resettlement Scheme**" means final draft prepared by the Administrator under sub-section (6) of Section 16 of the Act ;

(d) **"Form"** means the Form appended to these rules;

(e) **"Project Area"** means village or group of villages where land is proposed to be acquired.

(f) **"Section"** means section of the Act.

(2) Words and expressions used herein but not defined shall have the same meaning as respectively assigned to them in the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013(No. 30 of 2013).

CHAPTER –II

SURVEY AND CENSUS OF AFFECTED FAMILIES, GOVERNMENT ASSETS AND INFRASTRUCTURE UTILITIES

3. **Survey and census of affected families-**(1) After the publication of preliminary notification under sub section (1) of Section 11 of the Act by the collector, the administrator Rehabilitations and resettlement shall start the survey and census of the affected families immediately.

(2) Details of the land holders i.e. the name, total land held by them in village and land in any other village (if any) shall be obtained in the survey.

(3) Persons having forest right certificate issued under Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007) shall be treated as Bhumiswami for the purpose of Act and these Rules.

(4) Khasra number wise details of the land proposed for acquisition shall be collected.

(5)The Information regarding total number of affected family members (Adult, minors, married, unmarried) shall be collected.

(6) Details of the other assets attached to the land proposed to be acquired i.e. trees, bore wells, houses etc. Shall be collected.

(7) The income from the agricultural holdings of the affected families shall be obtained. Determination of the agricultural income shall be based on standard production of agricultural crops and respective market values.

(8) Details of approximate yearly income from sources other than agriculture and other businesses of every adult member of affected family shall be collected but agriculture wage shall not be included in it.

(9) Details of the survey of the affected families shall be obtained in Form -I.

4. **Survey of affected landless agricultural laborers and other affected persons.-** (1) The survey of such agricultural laborers, artisans and craftsman, whose livelihood primarily depends on the land proposed to be acquired and who are residing in the village for minimum 3 years from the date of publication of notification issued under Section 11 of the Act shall also be conducted.

(2) Details of the survey of the Landless agricultural laborers and other person affected person shall be collected in Form -II.

5. **Survey of Government and Public Assets and Infrastructural facilities proposed to be affected by land acquisition.-**(1)Details of Government and Public assets along with infrastructural facilities such as road, lane, Gaothan etc. affected from proposed land acquisition shall be collected.

(2) Details of the survey of the Government and public assets along with infrastructural facilities shall be collected in Form-III.

6. **Preparation of the list of displaced families. -** Administrator shall prepare a separate list of displaced families by proposed project in Form-IV based on the information obtained in Form-I, II and III.

CHAPTER-III

ASSESSMENT OF SOURCE OF LIVELIHOOD

7. **Assessment of Primary source of income.**-Primary source of livelihood shall be determined on the basis of information obtained under rule 3 and 4. If income from agriculture is more than 50% of the income from all sources then it shall be deemed that the livelihood of affected families is primarily depending on agriculture.

8. **Entitlement of Benefits of Rehabilitation**.- As per the calculation made above under rule 7, if it is held that the livelihood of affected families is primarily depending on agriculture than in case of the land proposed to be acquired according to class of cultivators mentioned below, the affected persons shall get the benefits of rehabilitation as per serial number 4 of the Second Schedule of the Act :-

-5-

Sr. no.	Class of cultivator	Percentage of total holdings of land proposed to be acquired
(1)	(2)	(3)
1.	Marginal	25 % or more land of the total holdings
2.	Small	50 % or more land of the total holdings
3.	Large	75% or more land of the total holdings

9. **Determination of affected families in case of joint holding .**-In case of joint holding, if adult members have by orally divided their shares with mutual consent then only the family whose land is affected by the acquisition shall be treated as affected family.

10. **Determination of eligibility and preparation of list of ineligible families.**- based on the calculation made under rule 7,8 and 9 administrator shall in Form-V determine the eligibility of affected families for rehabilitation and prepare list ineligible families.

CHAPTER- IV

PREPARATION OF REHABILITATION AND RESETLLEMENT SCHEME

11. **Preparation of Particulars of rehabilitation entitlements.-**The Particulars of the rehabilitation entitlements of the affected families, who are found to be eligible as per Rule 10 shall be prepared under Form -VI.

12. **Preparation of Particulars of resettlement entitlements.-**Particularsof facilities to be provided individually to each affected family in resettlement area shall be prepared in Form-VII.

13. **List of government building to be provided in the resettlement area.-**A List of government buildings to be provided in resettlement area shall be prepared in Form-VIII.

14. **List of other public amenities and infrastructural facilities to be provided in resettlement area.-** Details of other public amenities and infrastructural facilities to be provided in resettlement area shall be prepared in Form-IX.

15. **Collecting information of government offices and local bodies for preparation of rehabilitation and resettlement scheme.-** Social impact study assessment report, secondary data of panchayats and Government departments and status of spot may also be used in addition to data obtained by survey and census for preparing the above scheme.

CHAPTER-V

PUBLIC HEARING

16. **Public hearing on rehabilitation and resettlement scheme.**Public hearing shall be conducted by Administrator for rehabilitation and resettlement scheme prepared under sub-section (4) and (5) of Section 16 of the Act. For this purpose the following step shall be ensured, namely:-

    (i) Proclamation of public hearing shall be issued with the copy of rehabilitation and resettlement scheme showing the date, time and place of hearing;

    (ii) Such proclamation shall be published in Affected Villages, gram panchayat and in the office of Local Bodies and Tehsil;

(iii) Gram Sabha and Local Bodies of the affected area shall also be consulted;

(iv) in Scheduled Area consultation with Gram Sabha shall be done in accordance with the Provisions of the Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996 (No. 40 of 1996).

17. Submission of draft of rehabilitation and resettlement scheme to collector.-After completion of public hearing administrator shall submit to the Collector draft rehabilitation and resettlement scheme and report along with his opinion on claims, objections and suggestions received during the public hearing.

CHAPTER-VI
MISCELLANEOUS

18. Saving.-Due to inadvertence, effect of any provision of these rules areinconsistent with the Principal Act then the provision of the Act shall prevail over the said rule to the extent of such inconsistency.

19. Interpretation.- If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government , whose decision thereon shall be final.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. निहालानी, संयुक्त सचिव.

FORM-1

Details of Affected Families

(See rule 3(9))

1- Name of the village 3-P.C.No. 4- R.I.C. 4-Tehsil 5- District.

<table>
<tr><th rowspan="3">S. No .</th><th rowspan="3">Village of the account holders</th><th colspan="2">Details of land holdings</th><th rowspan="3">Cultivator class Small/ marginal/ Large</th><th rowspan="3">Kinds of Owner ships</th><th colspan="2">Land as proposed for Aqcuisition</th><th colspan="7">Particulars of the holders</th><th rowspan="3">medium of livilihood Based on annual income</th></tr>
<tr><th rowspan="2">Khasra No.</th><th rowspan="2">Area in H.</th><th rowspan="2">Khasra No.</th><th rowspan="2">Area in H.</th><th rowspan="2">Name/ Father/ Name of husband</th><th rowspan="2">Age</th><th rowspan="2">married/ Un Married</th><th rowspan="2">Occupation</th><th colspan="3">Annual income</th></tr>
<tr><th>Agricultural income</th><th>Income from other sources</th><th>Sum</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr>
</table>

FORM-II

Details of Landless Agricultural Labourers and People Affected

(See rule 4(2))

1- Name of the village 3-P.C.No. 4- R.I.C. 4-Tehsil 5- District.

S.No	Name of head of affected family/ father/husband's name	Period of stay in the village	Occupation(Agricultural labour, craftman, artisan, etc.)	Particulars of the family members			Reason for being effected due to land acquisition
				name/ name of the father/hushband	Age	Occupation	
1	2	3	4	5	6	7	8

FORM-III

Details of Government Assets and infrastructure Utlities as Land Proposed to be Acquired

(See rule 5 (2))

1- Name of the village 3-P.C.No. 4- R.I.C. 4-Tehsil 5- District.

S.No.	Details of Government and Public Assets and Infrastructure Facilities	Present use	Estimated Cost	Name of the department	Remarks
1	2	3	4	5	6

FORM-IV

Information of Displaced Families

(See rule 6)

1- Name of the village 3-P.C.No. 4- R.I.C. 4-Tehsil 5- District.

S.No	Name of the head of the family	Number of members in the family	Particulars of the family members				Reason of Displacement	Remarks
			Name of the member father/ husband	Age	Relation with the head of the family	Occupation		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

FORM-V

Assessment of Affected families for Resettlement

(See rule 10)

1- Name of the village 3-P.C.No. 4- R.I.C. 4-Tehsil 5- District.

S.No.	Name of the head of the family	Number of members in family	Whether entitlied for resettlement or not	Reason for entitlelment or ineligibility	Remarks
1	2	3	4	5	6

FORM-VI

Assessment of Affected families for Resettlement

(See rule 11)

1- Name of the village 3-P.C.No. 4- R.I.C. 4-Tehsil 5- District.

S.No.	Name of the head of affected family, Father/ Husband's name	Entitlement of House under column(1) of Schedule II	Entitlement of receiving Land in plance of land	Entilement of developed Land	Entilement of employment ammunity/ lump sum amount	Entilement of subsistance Aid	Entilement of Transportation	Entilement of Cattle shop/ small shop	Entilement of one time grant to artisans/ small traders	Entilement of fishery Rights	Entilement of Resettlement Cost	Entilement of exemtion from Stamp Duty and Registration Fee
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

FORM-VII

Details of Resettlement Facilities to Displaced Person

(See rule 12)

1- Name of the village 3-P.C.No. 4- R.I.C. 4-Tehsil 5- District.

S.No	Name of the head of displaced family	No. of Members in family	Particulars of facilities provided							
				Contructed Buildings						
			One time Grant	Name of village	Khasra No.	Plot No.	Area of Plot	Lavatory	Electrification	Drinking water
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

FORM-VIII

List of Government Buildings to be provided in Resettlement Area

(See rule 13)

1- Name of the village 3-P.C.No. 4- R.I.C. 4-Tehsil 5- District.

Sl. No.	Name of amenity	Name of Buildings	Estimated cost in lakhs	Particulars of site for construction	Other details
1	2	3	4	5	6

FORM-IX

List of Other Public Amenities and Infrastructural Facilities to be Provided in Resettlement Area

(See rule 14)

1- Name of the village 3-P.C.No. 4- R.I.C. 4-Tehsil 5- District.

Sl. No.	Name of amenity	Name of Building	Estimated Cost in Lakhs	Proposed site of contruction	Other details
1	2	3	4	5	6

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.